	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 4, गुरुवार, शाके 1935–सितम्बर 26, 2013	
	Asvina 4, Thursday, Saka 1935–September 26, 2013	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2013

जी.एस.आर. 162 :– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 6 का प्रतिस्थापन.**– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"6. **धारा 6 की उप–धारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संरचना, संख्या और भर्ती.**– (1) राज्य प्राधिकरण में इन नियमों से संलग्न अनुसूची–क में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये।

(2) सदस्य–सचिव और उप सचिव को छोड़कर, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम, 2002 के उपबन्ध और उसके अधीन जारी आदेश इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उसमें नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश से राज्य प्राधिकरण के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा और सीधी भर्ती या पदोन्नति के प्रयोजन के लिए उसमें किसी प्राधिकारी, अधिकारी या समिति के निर्देशों से प्राधिकरण, प्राधिकृत अधिकारी या राज्य प्राधिकरण द्वारा उसके अधिकारियों या सदस्यों में से इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के निर्देशों

का अर्थ लगाया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि राज्य प्राधिकरण के पदों और राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ नियम, 2002 के अधीन के पदों के बीच नाम पद्धति का कोई अन्तर है तो राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष पदों की समतुल्यता के प्रश्न को विनिश्चित् करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2013 के प्रारम्भ की तारीख पर ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जो किसी पद पर तदर्थ/स्थानापन्न/अस्थाई आधार पर कार्य कर रहे हैं, राज्य प्राधिकारण द्वारा गठित समिति द्वारा छंटनी की जायेगी बशर्ते कि वे नियमों में विहित अर्हता या ऐसी विहित अर्हता रखते हों जिसके आधार पर ये व्यक्ति तदर्थ/स्थानापन्न/अस्थाई नियुक्ति के लिए चयनित किये गये थे।

(4) यदि राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त नियमों को कार्यान्वित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज–पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके लागू करने के लिए ऐसे और उपान्तरण कर सकेगा जैसा परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो।"

3. नियम 9 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 9 के विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में इन नियमों से संलग्न अनुसूची–ख में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति राज्य प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।"

4. नियम 11 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"11. धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संरचना, संख्या और भर्ती.– (1) जिला प्राधिकरण में इन नियमों से संलग्न अनुसूची–ग में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये।

(2) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और ऐसी भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक स्थापन नियम, 1986 के उपबन्ध इस उपान्तरण के साथ लागू होंगे कि उसमें "राजस्थान उच्च न्यायालय" और "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" के निर्देशों से क्रमशः "राज्य प्राधिकरण" और "जिला प्राधिकरण" के निर्देशों का अर्थ लगाया जायेगा।"

5. नियम 14 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"14. धारा 11क की उप–धारा (3) के अधीन ताल्लुक विधि सेवा समिति के कर्मचारियों की संरचना, संख्या और नियुक्ति.– ताल्लुक विधि सेवा समिति में इन नियमों से निम्न अनुसूची–घ में विनिर्दिष्ट पद होंगे। प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या उतनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये। ताल्लुक विधि सेवा समिति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्ति जिला प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों में से की जायेगी।"

6. अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची–क
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(नियम 6 और 7 देखिए)

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सदस्य सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है	1	–
2.	उप सचिव	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश काडर या सिविल न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
3.	निजी सचिव	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
4.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–

1	2	3	4	5
5.	सहायक लेखाधिकारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
6.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार से स्थानान्तरण द्वारा
7.	वैयक्तिक सहायक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	–
8.	कार्यालय अधीक्षक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाल कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	–
9.	लेखाकार	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा
10.	कार्यालय सहायक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	–
11.	कनिष्ठ लेखाकार	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा के सदस्य से स्थानान्तरण द्वारा

1	2	3	4	5
12.	आशुलिपिक ग्रेड–II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
13.	वरिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
14.	कनिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
15.	ड्राइवर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
16.	मशीन मैन	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
18.	स्वीपर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–

अनुसूची–ख
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
(नियम 9 देखिए)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश काडर या सिविल न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
2.	आशुलिपिक ग्रेड–II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
3.	वरिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
4.	कनिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–

अनुसूची–ग
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(नियम 11 और 12 देखिए)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	वही वेतन जो राजस्थान न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश काडर या सिविल न्यायाधीश काडर के अधिकारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	राजस्थान न्यायिक सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
2.	कार्यालय अधीक्षक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
3.	आशुलिपिक ग्रेड–II	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
4.	वरिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
5.	कनिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–

1	2	3	4	5
7.	स्वीपर	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–

अनुसूची–घ
ताल्लुक विधिक सेवा समिति
(नियम 14 और 15 देखिए)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ लिपिक	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वही वेतन जो राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण करने वाले कर्मचारी को अनुज्ञेय है	जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जायें	–

"

[संख्या एफ.8 (2) विधि–2/13]
राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
एवं विधि परामर्शी,
राजस्थान, जयपुर।

LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 25, 2013

G.S.R. 162 .– In exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), the State Government in consultation with the Chief Justice of the Rajasthan High Court, hereby makes the

following rules further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 6.- The existing rule 6 of the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995, herein after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"6. Composition, strength and recruitment of officers and other employees of the State Authority under sub-section (5) of section 6.- (1) The State Authority shall have the posts specified in the Schedule-A appended to these rules. The number of the posts in each category shall be such as may be sanctioned by the State Government, from time to time.

(2) For recruitment of the officers and employees of the State Authority, except Member Secretary and Deputy Secretary, the provisions of the Rajasthan High Court Staff Rules, 2002 and orders issued there under shall apply with the modification that the reference therein to the appointing authority shall be construed to be references to the State Authority and the references therein to any authority, officer or committee for the purpose of direct recruitment or promotion shall be construed to be references to the authority, officer autorised or committee constituted for the purpose by the State Authority from amongst its officers or members:

Provided that if there is any difference of the nomenclature between the posts of the State Authority and posts under the Rajasthan High Court Staff Rules, 2002, the Executive Chairman of the State Authority shall be the final authority to decide the question of equivalence of the posts.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules all persons who are working on any post in adhoc / officiating/ temporary basis on the date of commencement of the Rajasthan Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2013, shall be screened by a committee constituted by the State Authority for adjudging their suitability on the posts provided they possess the qualifications prescribed in the rules or prescribed qualifications on the basis of which persons were selected for adhoc / officiating/ temporary appointment .

(4) If any difficulty arises in giving effect to the aforesaid rules for the purpose of regulating services of the officers and employees of the State Authority, the Executive Chairman of the State Authority in consultation with the Chief Justice of the High Court may, by order published in the Official Gazette, make such further modification in their application to the officers and employees of the State Authority as the circumstances may require."

3. Amendment of rule 9.- The existing sub-rule (1) of rule 9 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(1) The High Court Legal Service Committee shall have the posts specified in the Schedule-B appended to these rules. The number of the posts in each category shall be such as may be sanctioned by the State Government, from time to time. Appointment on the posts, sanctioned by the State Government for the High Court Legal Service Committee, shall be made from the persons recruited by the State Authority."

4. Substitution of rule 11.- The existing rule 11 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"11. Composition, strength and recruitment of officers and other employees of the District Authority under sub-section (5) of section 9.- (1) The District Authority shall have the posts specified in the Schedule-C appended to these rules. The number of the posts in each category shall be such as may be sanctioned by the State Government, from time to time.

(2) Recruitment of the officers and employees of the District Authority shall be made by the District Authority with the prior approval of the State Authority and for such recruitment, the provisions of the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 shall apply with the modification that the references therein to "the Rajasthan High Court", and "the District and Sessions Judge" shall be construed to be references to "the State Authority", and "the District Authority", respectively."

5. Substitution of rule 14.- The existing rule 14 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"14. Composition, strength and appointment of employees of the Taluk Legal Service Committee under sub-section (3) of section 11A.- The Taluk Legal Service Committee shall have the posts specified in the Schedule-D appended to these rules. The number of the posts in each category shall be such as may be sanctioned by the State Government, from time to time.

Appointment on the posts, sanctioned by the State Government for the Taluk Legal Service Committee, shall be made from the persons recruited by the District Authority."

6. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Schedule-A
(see rule 6 and 7)
STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

S. No.	Name of the post	Scale of Pay	Number of Posts	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Member Secretary	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Service in the District Judge Cadre.	1	-
2.	Deputy Secretary	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Service in the Senior Civil Judge Cadre or Civil Judge Cadre	As may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the Rajasthan Judicial Service.
3.	Private Secretary	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
4.	Senior Personal Assistant	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-

1	2	3	4	5
5.	Assistant Accounts Officer	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the member of the Rajasthan Accounts Subordinate Service
6.	Computer Programmer	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the Department of Information Technology and Communication, Government of Rajasthan
7.	Personal Assistant	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
8.	Office Superintendent	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
9.	Accountant	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the member of the Rajasthan Accounts Subordinate Service
10.	Office Assistant	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-

1	2	3	4	5
11.	Junior Accountant	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the member of the Rajasthan Accounts Subordinate Service
12.	Stenographer Gr.-II	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
13.	Upper Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
14.	Lower Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
15.	Driver	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
16.	Machine Man	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-

1	2	3	4	5
17.	Class IV Employee	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	As may be sanctioned by the State Government from time to time	-
18.	Sweeper	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-

Schedule-B

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

(see rule 9)

S. No.	Name of the post	Scale of Pay	Number of Posts	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Secretary, Rajasthan High Court Legal Service Committee	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Service in the Senior Civil Judge Cadre or Civil Judge Cadre.	as may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the Rajasthan Judicial Service
2.	Stenographer Gr.-II	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-
3.	Upper Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-

1	2	3	4	5
4.	Lower Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-
5.	Class IV Employee	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-

Schedule-C

DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES

(see rule 11 and 12)

S. No.	Name of the post	Scale of Pay	Number of Posts	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Secretary, District Legal Service Authority	Same pay as is admissible to the officer of the Rajasthan Judicial Service in the Senior Civil Judge Cadre or Civil Judge Cadre.	as may be sanctioned by the State Government from time to time	By transfer from the Rajasthan Judicial Service
2.	Officer Superintendent	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-
3.	Stenographer Gr.-II	Same pay as is admissible to employee holding	as may be sanctioned by the State Government	-

1	2	3	4	5
		equivalent post in the State Government	from time to time	
4.	Upper Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-
5.	Lower Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-
6.	Class IV Employee	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-
7.	Sweeper	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-

Schedule-D

TALUKA LEGAL SERVICES COMMITTEE

(see rule 14 and 15)

S. No.	Name of the post	Scale of Pay	Number of Posts	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Lower Division Clerk	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in	as may be sanctioned by the State Government	-

1	2	3	4	5
		the State Government	from time to time	
2.	Class IV Employee	Same pay as is admissible to employee holding equivalent post in the State Government	as may be sanctioned by the State Government from time to time	-

"

[No. F 8(2) Law/2/13]
By Order of the Governor,
प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.